



UPSI180002712014

न्यायालय Civil Judge Junior Division Mahmoodabad, Sitapur
पैरवीन अधिकारी- (Amit Singh), (उप-न्यायिक सेवा) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/409/2014

HARIDATT SINGH Vs. SURENDRA SINGH

दिनांक-23.09.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते निस्तारण प्रा० पत्र 41क नियत है।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 41क-

वादी ने प्रार्थना पत्र 41क अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 जा० दी० इस आशय का प्रस्तुत किया है कि न्यायालय द्वारा दि० 27.11.2019 को वाद का मूल्यांकन 20,000 रु० कर दिया गया है। जिसके अनुपालन में वादी की ओर से न्यायशुल्क अदा करने हेतु न्यायालय के समक्ष का० सं० 39क प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय द्वारा दि० 23.03.2021 को स्वीकृत किया गया है, किन्तु भूलवश वाद-पत्र में संशोधन करके न्यायशुल्क अदा नहीं किया जा सका है। इस कारण वाद में मूल्यांकन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में वादी को वाद-पत्र में संशोधन की अनुमति एवं न्यायशुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान की जाय। प्रार्थना-पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दि० 27.11.2019 को न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं० 8 निस्तारित करते हुए वादी को निर्देशित किया गया था कि वह वाद का मूल्यांकन 20,000 रु० किये जाने हेतु आवश्यक पैरवी नियत तिथि तक करे, जिसके अनुपालन में प्रार्थना-पत्र 41क वाद-पत्र में संशोधन की अनुमति दिये जाने एवं तदनुसार न्यायशुल्क अदा किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन न्यायालय के आदेश के अनुपालन में है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र 41क स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण कमीशन आख्या दिनांक 06.10.2021 को पेश हो।

(अमित सिंह)

सिविल जज जू० डि०
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code-UP-2519

दिनांक-23.09.2021

अजय/स्टेनो-